FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District** राजनांदगाँव **P.S. (थाना):** राजनांदगांव कोतवाली **Year (वर्ष):** 2024
   FIR No.(प्र.सू.रि.सं.): 0223
   Date and Time of FIR (प्र.सू. की दिनांक और समय): 05/04/2024 21:30 बजे

2.

S.No. (क्र.	**Acts (अधिनियम)**	**Sections (धाराएँ)**
1	भा दं सं 1860	506

3. **(a) Occurrence of offence(अपराध की घटना):**
   1. **Day (दिन):** शुक्रवार
      Date From (दिनांक से): 02/04/2024 **Date To (दिनांक तक):** 02/04/2024
      Time Period (समय अवधि): पहर 5 **Time From (समय से):** 13:00 बजे
      Time To (समय तक): 15:00 बजे

   (b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):
      Date (दिनांक): 05/04/2024 **Time (समय):** 21:30 बजे

   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): **Entry No. (प्रविष्ट सं.):** 008
      Date & Time (दिनांक और समय): 05/04/2024 21:30 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** उत्तर - पश्चिम 0.8 किमी
      Beat No. (बीट सं.):
      (b) Address (पता): , स्टेट स्कूल परिसर राजनांदगांव

      (c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
         Name of P.S.(थाना का नाम):
         District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):**
   (a) Name (नाम): श्री अतुल विश्वकर्मा SDM राज0 की ओर से मनीष कुमार वर्मा तहसीलदार राजनांदगांव
   (b) Father's Name (पिता का नाम): बेदराम वर्मा
   (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1989
   (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
   (e) UID No. (यूआईडी सं.):
   (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
      Date of Issue (जारी करने की तिथि):
      Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	आवासीय वर्तमान पता	, , तहसीलदार, तहसील कार्यालय राजनांदगांव, राजनांदगाँव, छत्तीसगढ़, भारत
2	आवासीय स्थायी पता	, , , ग्राम सुहेला तहसील सुहेला, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.): **Mobile (मोबाइल सं.):** 0-

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	डा0 चरणदास महन्त उम्र लगभग 60 साल		पिता :	रायपुर रायपुर छत्तीसगढ़ सिविल लाइन्स

8. **Reasons of delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S.No.	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10 **Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में):** 0

11 **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12 **First Informaion contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

मै थाना कोतवाली मे उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ , आज दिनांक 05/04/2024 को N/0 ड्यूटी मे तैनाती के दौरान श्री मनीष कुमार वर्मा पिता बेदराम वर्मा उम्र 33 वर्ष तहसीलदार राजनांदगांव द्वारा श्री अतुल विश्वकर्मा अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी, विधानसभा क्षेत्र क्र0-75, राजनांदगांव द्वारा थाना प्रभारी थाना कोतवाली राजनांदगांव को प्रेषित ज्ञापन इस समय थाना लाकर पेश किया गया जिसमे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ0ग0 रायपुर को भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ प्राप्त श्री ओम पाठक सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सचिव केन्द्रीय अनुशासन समिति भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित शिकायत की जांच कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजनांदगांव के निर्देश पर सहायक रिटर्निंग अधिकारी, विधानसभा क्षेत्र कं 75, राजनांदगांव द्वारा जांच उपरांत प्रथम दृष्टया नेता प्रतिपक्ष डा0 चरणदास महन्त के द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का लाठी से सिर फोडने एवं उनको क्षति पहुँचाने की धमकी देना पाया जाना उल्लेखित है । प्रस्तुत ज्ञापन एवं संलग्न जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया अपराध धारा 506 भादवि का घटित होना पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया । ज्ञापन नकल जैल है - कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी, विधानसभा क्षेत्र क्र0- 75, राजनांदगांव, जिला- राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) //ज्ञापन// क्र0/1026/प्रवा0-3/अ0वि0अ0/ 2024 राजनांदगांव, दिनांक 05/04/2024 प्रति, थाना प्रभारी थाना कोतवाली राजनांदगांव जिला- राजनांदगांव विषय :- कांग्रेस नेता श्री चरणदास महन्त द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का लाठी से सिर फोड़ने एवं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही बाबत । संदर्भ :- (1) कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कं0-6 राजनांदगाव का पत्र क्रं0/1575/लोक सभा निर्वाचन / नोडल अधिकारी /शिकायत / 2024 राजनांदगांव दिनांक 05/04/2024 |(2) कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ0ग0 का पत्र कं /चार-1 / शिका0 / लो0स0चु0/2024/(21)/214 दि 05/04/2024 एवं भारत निर्वाचन आयोग का पत्र कं0/437/6/ES-1/CG-HP/2024 दिनांक 05/04/2024 कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, राजनांदगांव ने सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, विधानसभा क्षेत्र कं0- 75, राजनादगांव के रूप में संबोधित करते हुए लेख किया है कि उपरोक्त संदर्भित पत्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ0ग0 रायपुर के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भित पत्र के साथ प्राप्त हुआ है। श्री ओम पाठक सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सचिव केन्द्रीय अनुशासन समिति भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को शिकायत प्रेषित कर आदर्श आचरण संहिता के तहत उचित कार्यवाही करने हेतु मांग किया गया है। नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत के विरूद्ध हेट स्पीच किए जाने के संबंध में शिकायत के साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 499, 503 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (2) एवं आदर्श आचरण संहिता की कंडिका 3.8.2 के तहत कार्यवाही किए जाने हेतु भारतीय जनता पार्टी द्वारा पत्र आयोग को प्रेषित किया गया है। उक्त संबंध में श्री संजय श्रीवास्तव प्रदेश महामंत्री भाजपा, श्री राजेन्द्र कुमार पाध्ये एवं अन्य से पूर्व में प्राप्त शिकायत पर अनुविभागीय अधिकारी (रा0) राजनांदगांव से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनांदगांव द्वारा शिकायत के संबंध में कार्यालयीन दस्तावेज एवं वीडियो निगरानी दल द्वारा तैयार किए गए वीडियो के अवलोकन उपरांत प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है कि, दिनांक 02/04/2024 को श्री भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-06 राजनांदगांव से नामांकन दाखिल करने हेतु नामांकन कार्यक्रम पश्चात स्टेट स्कूल राजनांदगांव परिसर में नामांकन रैली कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें नेता प्रतिपक्ष छ0ग0 विधानसभा ड0 चरणदास महन्त भी उपस्थित थे। उक्त कार्यक्रम हेतु जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष के आवेदन पर अनुमति प्रदान किया गया था। उक्त सभा में नेता प्रतिपक्ष डा0 चरणदास महन्त के द्वारा अपने उद्बोधन के दौरान छत्तीसगढ़ी में कहा कि भूपेश बघेल ला बहुमत से जितावा ताकि तुंहर रक्षा करे। आने वाले दिन मा तुम्हर मन बर खड़े रह सके, चाहे दाई-बहिनि मन के इज्जत के सवाल हो, चाहे किसान, नौजवान मन के इज्जत के सवाल होए, एक संरक्षक चाहिए जो अच्छा लाठी धर के मार सके। नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अगर कोई खड़े हो सकथे तो तुम्हर सांसद हा सकथे। बाकि मन सिधवा-सधवा हे। और ये देवेन्द्र भी खड़े हो सकथे। शिव लाठी धरे रहिस का ? हमन ला लाठी धरईया आदमी चाहिए। नरेन्द्र मोदी के मुड फोडइया आदमी चाहिए अउ ओला रात दिन तंग करके चीन भेजईया आदमी चाहिए। तय फिट हस तेकर बर प्रार्थना करत हव भारी बहुमत से जितावा। उक्त उद्बोधन के

दौरान नरेन्द्र मोदी के सिर फोड़ने वाला आदमी चाहिए और उनको रात-दिन तंग करके चीन भेजने वाला आदमी चाहिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है। उक्त जांच प्रतिवेदन से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि, नेता प्रतिपक्ष डा0 चरणदास महन्त के द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का लाठी से सिर फोड़ने एवं उनको क्षति पहुंचाने की धमकी दी गई है। यह आदर्श आचरण संहिता का भी उल्लंघन है। अतएव संबंधित के विरूद्ध विधि सम्मत धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कराते हुए की गई कार्यवाही से तत्काल अवगत कराना सुनिश्चित करेंगें। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजनादगांव के आदेशानुसार प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही हेतु श्री मनीष कुमार तहसीलदार को प्रकरण दर्ज करने की औपचारिकता पूर्ण किए जाने हेतु अधिकृत करते हुए संलग्न सूची अनुसार दस्तावेज सहित आपकी ओर प्रेषित है। (संलग्न पत्रों की सूची पृथक पृष्ठ में दर्शित है।) हस्ताक्षर अस्पष्ट अंग्रजी मे अतुल विश्वकर्मा अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी, विधानसभा क्षेत्र 75- राजनांदगांव क्र0/1026/प्रवा-3/अ0वि0अ0/2024 राजनांदगांव , दिनांक 05/04/2024 प्रतिलिपिः-1. रिटर्निंग ऑफिसर, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कं0-6, राजनांदगांव को सादर सूचनार्थ संप्रेषित । 2. पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव को सादर सूचनौर्थ संप्रेषितं। 3. नगर पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। 4. श्री मनीष कुमार वर्मा, तहसीलदार राजनांदगांव को पालनार्थ। हस्ताक्षर अस्पष्ट अंग्रेजी मे अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी, विधानसभा क्षेत्र 75- राजनांदगांव

13 **Action Taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (**की गयी कार्यवाही**:** चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है की अपराध करने का तरीका मद सं**. 2** में उल्लेख धारा के तहत है **|)**

(1) Registered the case and took up the Investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया**):**

Baldau Chandrakar (SI (Sub-Inspector)) / **or (**या**)**

(2) Directed (Name of I.O.)(जाँच अधिकारी का नाम**):**

Rank (पद**):** **No. (**सं.**):**

to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया**)**

or (या**)**

(3) Refused Investigation due to (जाँच के लिए**):**
or (के कारण इंकार किया या**)**

(4) Tranferred to P.S.(थाना**):**
District (जिला**):**
on point of Jurisdiction(को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित**).**

F.I.R. read over to the complainant / Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/Informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी**,** सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी**|)**

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.**)**

14 **Signature/Thumb Impression of the complainant / (**शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान**):**

15 **Date and time of dispatch to the court (**अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय**):**

Signature/हस्ताक्षर

Signature of Officer in charge, Police Station: (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर**)**

Name (नाम**):** Baldau Chandrakar

Rank (पद**):** SI (Sub-Inspector)

No. (सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report(प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known / (संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया)

S.No. (क्र. स.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष	1964 / 60				

Deformities/Peculiarities (विकृतियाँ/विशिष्टताएँ)	Teeth (दांत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखे)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/ Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (ल्यूकोडर्मा (सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है **|)**

Disclaimer- This is a system generated copy of original F.I.R.